

(Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(G)6-2/2004 (Fire) dated as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh  
Department of Home

\*\*\*

No. Home-B(G)6-2/2004(Fire)

Dated Shimla-2 31.12.2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Himachal Pradesh Fire-Fighting Services Act, 1984, (Act No. 30 of 1984) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Fire Fighting Services Uniform Rules, 2005 notified vide this department's Notification No. Home-B (G) 6-2/2004(Fire) dated 4-8-2005, namely:-

Short title and commencement. 1

(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fire Fighting Services Uniform (Amendment) Rules, 2011

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of rule 17.  
Condemnation of uniform.

(2) For rule 17 of the Himachal Pradesh Fire Fighting Services Uniform Rules, 2005 the following shall be substituted, namely :-  
"17 CONDEMNATION OF UNIFORM:-

(a) Time expired clothing, other than those articles whose period of wear has been extended, shall invariably be collected and surveyed. The serviceable articles shall be taken into store, and either kept as surplus stock to replace losses, or issued to the tailor to be converted into "bastanis" or shorts. Articles not required or unfit for use shall be sold and the proceeds deposited in the appropriate revenue head. The unserviceable articles as are suitable for cleaning Govt vehicles, buildings and other Govt equipment on charge of the Fire Services Department, may be used for the said

purposes.

(b). A flat rate may be fixed by the Chief Fire Officer, to be reviewed atleast after every two years with the approval of Commandant General, Home Guards, at which the officials/officers of the Fire Services Department may purchase for their own use, articles of time expired clothing, offered for sale. However, all sales outside the Department and sale in bulk shall be by open auction.

(c). Distinguishing features shall be removed from all articles of uniform before they are sold in auction or otherwise.”

By Order

Pr. Secretary(Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.

No. Home-B (G) 6-2/2004(Fire)

Dated Shimla-2 31.12.2011

Copy forwarded to :-

1. Commandant General, Home Guards/Civil Defence –cum-Director Fire Services, H.P. with five spare copies.
2. Director General (Civil Defence), Government of India, Ministry of Home Affairs, Jaisalmer House, Man Singh Road, New Delhi-110011.
3. Accountant General (Audit) Himachal Pradesh, Shimla.
4. Sr. Deputy Accountant General (A/E) Himachal Pradesh, Shimla.
5. Controller of Stores, Himachal Pradesh, Shimla.
6. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-5 with the requested that the same may be published in the Rajpatra and copy of the same be supplied to this department.
7. Chief Fire Officer, Himachal Pradesh, Shimla.
8. The Joint Legal Remembrance-cum-Joint Secy. (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
9. Commandant (Training) Home Guards, Central Training Institute, Junga, Shimla.
10. All the Commandants Home Guards in Himachal Pradesh.
11. Guard file.

Under Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
गृह विभाग

संख्या गृह-बी(जी)6-2/2004(फायर)तारीख शिमला-231.12.11

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984( 1984 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह- बी (जी)6-2/2004 (फायर) तारीख 4अगस्त,2005 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्दी नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्दी(संशोधन) नियम, 2011 है।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- नियम 17 का संशोधन 2. हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्दी नियम,2005 के नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात :-  
**“17 वर्दी को अनुपयोगी घोषित करना:-**  
(क) वस्त्र, जिनकी कालावधि समाप्त हो गई हो, से अन्यथा, वस्तुएं, जिनके पहनने की कालावधि में विस्तार किया गया हो को अपरिवर्तित रूप से वापिस ले लिया जायेगा और उनका सर्वेक्षण किया जायेगा। सेवायोग्य वस्तुओं को भण्डार में रखा जाएगा ओर या तो इन्हें घटी हुई वस्तुओं के बदले

में देने के लिए अधिशेष के रूप में भण्डार में रखा जाएगा या इन्हें दर्जी को “ बासतानी” या ‘शॉर्ट्स’ में संपरिवर्तित करने के लिए दिया जाएगा। अनावश्यक या उपयोग के लिए अनुपयुक्त वस्तुओं का विक्रय किया जायेगा और उससे प्राप्त आगम को समुचित राजस्व शीर्ष में जमा किया जायेगा अनुपयोगी वस्तुएं जो अग्निशमन विभाग के प्रभार में सरकारी यानों, भवनों और अन्य सरकारी उपस्कर की सफाई के लिए उपयुक्त है, को उक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा सकेंगी।

(ख) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा नियत की गई समान दर, जिसे महाआदेशक गृह रक्षा के अनुमोदन से कम से कम, प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जा सकेगा, विक्रय के लिए प्रस्तावित इन कालावधि समाप्त वस्त्र की वस्तुओं को, उसी दर पर, अग्निशमन विभाग के कर्मचारीगण/ अधिकारीगण, स्वयं के उपयोग के लिए क्रय कर सकेंगे। तथापि, विभाग के बाहर समस्त विक्रय और थोक में विक्रय खुली नीलामी द्वारा किया जाएगा।

(ग) वर्दी की सभी वस्तुओं को नीलाम करने या विक्रय करने से पूर्व उन पर लगे सुभेधक चिन्ह हटा दिए जायेंगे”।

आदेशद्वारा

प्रधान सचिव (गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या यथोपरि

तारीख 31.12.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. महाआदेशक गृह रक्षा/ नागरिक सुरक्षा एवं निदेशक अग्निशमन सेवार्यें हि०प्र० शिमला को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
2. महाआदेशक गृह रक्षा/ नागरिक सुरक्षा (गृह मंत्रालय) भारत सरकार जेसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011.
3. महालेखाकर (आडिट) हिमाचल प्रदेश शिमला-171003.
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार(ए०एण्ड ई०) हि०प्र०शिमला ।
5. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि०प्र० से अनुरोध है कि वह इसे राजपत्र में प्रकाशित करके प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।
6. नियन्त्रक भण्डार हि०प्र० शिमला ।
7. जे०एल०आर कम संयुक्त सचिव(कानून) हि०प्र० सरकार।
8. आदेशक (प्रशिक्षण) गृह रक्षा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जुन्गा,हिमाचल प्रदेश ।
9. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, शिमला
10. समस्त आदेशक गृह रक्षा हिमाचल प्रदेश ।
11. गार्ड नस्ति ।

अवर सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।